

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ-20 (504) एन.एच.एम./एचआरडी/आरबीएसके/2018/1208 दिनांक: 9-8-18

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मे आयुष चिकित्सक के पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञापित क्रमांक 237 दिनांक 08.03.2018 के क्रम में विज्ञापित पुरुष आयुष चिकित्सक (आयु0, होम्यो0 व यूनानी) के संविदा पद पर पूर्णतया संविदा आधार पर राशि रुपये 16800/- प्रति माह के समेकित पारिश्रमिक पर पदस्थापित किया जाता है।

S.No	Roll No	Candidate Name	Posting Block	Posting District
1	A(A)0005	AARIF KHAN KAYAMKHANI	SHAHPURA	BHILWARA
2	A(H)0018	AJAY KUMAR	BARMER	BARMER
3	A(U)0027	BUDDHI PRAKASH TANWAR	BHOPALSAGAR	CHITTORGARH
4	A(A)0174	CHETAN PRADHAN	KOTRI	BHILWARA
5	A(A)0204	DEVANSH KUMAR	GANGAPUR	BHILWARA
6	A(H)0276	DR PUSHPENDRA KUMAR	SHAHBAD	BARAN
7	A(H)0317	GOPAL SINGH SODHA	SAM	JAISALMER
8	A(H)0382	JASKARAN SINGH SIDHU	RAWATSAR	HANUMANGARH
9	A(A)0441	KISHOR KUMAR	JALORE	JALORE
10	A(H)0476	KUNDAN JAIN	UDAIPUR U	UDAIPUR
11	A(U)0072	MAHMOOD UL HASAN KHAN	DESURI	PALI
12	A(A)0552	MANOJ KUMAR PARGI	CHOTI SARVAN	BANSWARA
13	A(U)0094	MOHD ABID	SUMERPUR	PALI
14	A(U)0097	MOHD ANAS SIDDIQUI	LASADIYA	UDAIPUR
15	A(A)0611	MUKESH KHATANA	TODARAISING	TONK
16	A(U)0118	MUKESH SINGH SHEKHAWAT	KHARCHI	PALI
17	A(U)0127	NIJAMUDIN MIRASI	SHEO	BARMER
18	A(H)0752	PREM KUMAR BARWAR	BALI	PALI
19	A(A)0882	RAJESH KUMAR KATARA	GHATOL	BANSWARA
20	A(A)0888	RAJKUMAR BILONIYA	NAGAUR	NAGAUR
21	A(H)0873	RAVINDER SINGH	TIBBI	HANUMANGARH

(2)

22	A(A)1011	SANDEEP KUMAR	SANGRIYA	HANUMANGARH
23	A(A)1025	SANJAY DHANKAR	SAYALA	JALORE
24	A(A)1077	SHANTI LAL PARMAR	DUNGARPUR	DUNGARPUR
25	A(A)1155	SULJEET BARANDA	DUNGARPUR	DUNGARPUR
26	A(U)0170	SUNIL KUMAR SHARMA	JASVANTPURA	JALORE
27	A(A)1202	SURESH KUMAR MEENA	BENGU	CHITTORGARH
28	A(A)1226	UDAY SINGH SUMAN	KHANPUR	JHALAWAR
29	A(H)1113	UMESH GOYAL	BANERA	BHILWARA
30	A(A)1262	VIKAS	JAYAL	NAGPUR
31	A(H)1148	VINAYAK PUROHIT	ASPUR	DUNGARPUR
32	A(H)1166	WASI UR REHMAN KHAN	PRATAPPUR	BANSWARA
33	A(A)1293	WILSON RAJORA	RAIPUR	BHILWARA
34	A(A)1294	YASH JAIN	CHOTI SARVAN	BANSWARA

नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.08.2018 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम (संकलित) से दिनांक 24.08.2018 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. co.hrd.nhm@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई आयुष चिकित्सक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार), चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।


उक्त संविदा आयुष चिकित्सकों को प्रथमतः तीन माह (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। नव नियुक्त संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को आगामी दिनांक 31.03.2019 तक के लिये बढ़ाया जायेगा। अनुबंधित संविदा कार्मिकों को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार



आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान राज्य के सम्बन्धित चिकित्सा बोर्ड से पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों) की जाँच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक-एक स्वप्रमाणित प्रति रिकार्ड में रखते हुए नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। कार्यग्रहण उपरान्त कार्मिक को उनके संबंधित पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर अविलम्ब भिजवाए।

उक्त अभ्यर्थी का पदस्थापन उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच के अध्याधीन रहेगी। यदि कियी अभ्यर्थी के दस्तावेज मिथ्या/गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।



(नवीन जैन)

शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक: एफ-20 (504) एन.एच.एम./एचआरडी/आरबीएसके/2018/1208 दिनांक: 9-8-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अति० मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक-जनस्वास्थ्य/आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
8. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिलें।
11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम एवं अति० जिला नोडल अधिकारी आरबीएसके समस्त जिलें।
12. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं कार्यग्रहण करने हेतु पालनार्थ।
13. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम